IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–12

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

ऑफिस काम्पलेक्स–द्वितीय तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

email - cd12lko@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 1511 / YR-1 (V) / 175 दिनांक–08/6/18

पूर्णता प्रमाण–पत्र

वृन्दावन योजना सं0–3, सेक्टर–12, लखनऊ में कहलो सहकारी आवास समिति लि0, लखनऊ के पक्ष में समायोजित भूमि पर स्वीकृत ले–आउट के सापेक्ष मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा अनुमोदित पूर्णता प्रमाण–पत्र खण्ड कार्यालय से निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ के पत्र सं0–1427/ कहलो समिति/कम्पलीशन सर्टीफिकेट/2018 दिनांक–29.05.2018 के क्रम में ले–आउट के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है :–

1–ले–आउट में सृजित सम्पत्तियों के परिवर्धन/संशोधन हेतु निर्माण एवं विकास कार्य की अनुमति परिषद के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी वास्तुकला एवं नियोजन इकाई, लखनऊ से बिल्डिगं भवन मानचित्र स्वीकृत कराके ही निर्माण कार्य करेगें।

2–मुख्य शमन अधिकारी द्वारा जारी अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक–02.02.2018 के अनुसार शर्तों/निर्देशों का क्रियान्वयन स्थल पर सुनिश्चित किया जाता रहेगा कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वैद्यता बनी रहे।

3–उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक–26.05.2018 के अनुसार शर्तों/निर्देशों का क्रियान्वयन स्थल पर सुनिश्चित किया जाता रहेगा, कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वैद्यता बनी रहे।

4–ले–आउट में सृजित सम्पत्तियों के आवंटियों के मध्य रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का क्रियान्वयन सुसंगत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

5–समिति द्वारा ले–आउट में विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज यथा सीवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति व अन्य सुविधाओं का रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे क्षेत्र के आवंटियों को कोई असुविधा न हो, अन्यथा की दशा में समिति ही उत्तरदायी रहेगी।

6–भविष्य में प्रश्नगत क्षेत्र/स्थल के सम्बन्ध में क्रियान्वयन के दृष्टिगत किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज हेतु परिषद द्वारा समानुपातिक धनराशि माँगे जाने पर उसे समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।

7–ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण की सुनिश्चितता हेतु योजना क्षेत्र की 10 प्रतिशत भूमि बन्धक के रूप में रखी गयी थी, बन्धक रखी गयी भूमि को कार्यालय द्वारा अवमुक्त कराये जाने की कार्यवाही भवनों के आवंटन से पूर्व किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त अनुमोदन में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों के अतिरिक्त कहलो सहकारी आवास समिति लि0 के वृन्दावन योजना के सेक्टर–12, लखनऊ में समायोजित भूमि पर पूर्व स्वीकृत ले–आउट के अनुसार (86790.00 वर्ग मीटर भूमि पर) निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन यह पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1–भूखण्ड के किसी भी भाग/क्षेत्र का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं किया जायेगा एवं ऐसा पाये जाने पर परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2–स्थल पर रेन हार्वेस्टिंग पद्धति का क्रियान्वयन भविष्य में समिति/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यथावत सुनिश्चित कराना होगा।

3–विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण, अग्निशमन, एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निर्गत एन0ओ0सी0 की शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में समिति/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

4–शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था समिति/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

5–ले–आउट में किये गये प्राविधानानुसार सम्पत्तियों को सृजित कर समिति/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विकसित किया जाना बाध्यकारी होगा।

6–निर्मित भवनों का आवंटन नियमानुसार परिषद द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने का दायित्व समिति का होगा।

7–समिति द्वारा वास्तुकला एवं नियोजन इकाई पंचम के पत्रांक–198/दिनांक–23.01.2017 द्वारा जारी व्यवसायिक मद हेतु उपविभाजन ले–आउट प्लान के अनुसार सम्पत्तियों के विभाजित किये जाने का कार्य पत्र दिनांक–23.01.2017 में उल्लिखित समयावधि के उपरान्त पूर्ण विकसित किया जाना होगा।

8–उ0प्र0 सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 की धारा–14(2) के अन्तर्गत शासन की नई संशोधित उपविधि–2004 एवं परिषद के सहकारिता अनुभाग के पत्रांक–846/सह0/दिनांक–07.06.2005 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

9–समिति द्वारा भविष्य में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10–स्थानीय निकाय को योजना की सेवाओं (यथा–सड़क, ड्रेन, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क आदि) के हस्तान्तरण के समय समिति द्वारा अनुपातिक सहभागिता समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करनी होगीं।

11–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों का अनुपालन तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 में निहित समस्त धाराओं के प्राविधानों का अनुपालन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(इं0 एस0सी0 त्रिपाठी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र सं0– 1511 / उक्त /175 दिनांक– 6/6/18

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर आवास आयुक्त एवं सचिव(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2-मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

1.4.9.2.1

Scanned with CamScanner

3—अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

4—उप आवास आयुक्त, लखनऊ जोन/भूमि अर्जन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।

5—वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई—पंचम, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

6—सम्पत्ति प्रबन्धक, वृन्दावन योजना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल, वृन्दान योजना, लखनऊ।

7—सहायक अभियन्ता—द्वितीय/तृतीय, निर्माण खण्ड—12, लखनऊ।

8—श्री गुरूबचन सिंह, सचिव, कहलो सहकारी आवास समिति लि0, एन0सी0बी0 सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

1.4.9.2.1

Scanned with CamScanner